कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 25 जुलाई 2026

🔷 थाना बलुआ पुलिस द्वारा 11 राशि गोवंश बरामद, 01 पिकअप वाहन जब्त; 03 अभियुक्तों में से 01 गिरफ्तार, 02 हिरासत में (उपचार के दौरान 01 की मृत्यु)

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त व सघन चेकिंग के दौरान गो-तस्करी के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 25.07.2026 को समय लगभग 06:10 बजे थाना बलुआ पुलिस टीम तिरगावाँ/सैदपुर गंगा नदी पुल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार सफेद पिकअप बोलेरो (वाहन सं. UP65QT6389) आती दिखी, जो पुलिस को देखकर पीछे हड़बड़ाहट में वाहन बंद हो जाने पर उसमें सवार तीन व्यक्ति उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

वहीं भागने के चक्कर में 02 अभियुक्त पुल से नीचे गंगा नदी के रेते में कूद गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस टीम द्वारा तत्काल नीचे पहुँचकर दोनों घायलों को हिरासत में लिया गया और जीवन रक्षा हेतु सीएचसी चहनियाँ भिजवाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय चन्दौली रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान घायल 01 अभियुक्त की मृत्यु हो गई।

बरामद वाहन की तलाशी लेने पर उसमें तिरपाल के नीचे क्रूरतापूर्वक बांधकर लादे गए कुल 11 राशि गोवंश बरामद हुए।

हिरासत में लिए गए अभियुक्तों का विवरण-

1-शक्ति कुमार पुत्र वासुदेव, निवासी ग्राम सरताला मोकलपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 20 वर्ष) [मौके से गिरफ्तार]

2-शिवांशू कुमार पुत्र देवीलाल, निवासी बनगावां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ [हिरासत में, इलाजरत]

3-काजू कुमार पुत्र गुदड़ी, निवासी उमरीपट्टी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ [उपचार के दौरान मृत्यु]

बरामदगी का विवरण-

11 राशि गोवंश (क्रूरतापूर्वक बांधकर लादे गए)

01 बोलेरो पिकअप वाहन (पंजीकृत वाहन संख्या: UP65QT6389)

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

मु0अ0सं0: 0212/2026 धारा:धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 पशुओं का परिवहन नियम 1970 (नियम 56) एवं 2001 (संशोधित)

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

अरूण प्रताप सिंह थानाध्यक्ष बलुआ जनपद चन्दौली।
उ0नि0 अमित कुमार सिंह (चौकी प्रभारी) थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
उ0नि0 अरविन्द सोनकर थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
हे0का0 सन्तोष यादव, थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
हे0का0 उपेन्द्र सिंह, थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
हे0का0 ज्ञानन्दा प्रसाद थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
रि0का0 विपिन वर्मा, थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
रि0का0 रोहित साहू थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 25 जुलाई 2026

🔷 **थाना कन्दवा व थाना सैयदराजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बोलेरो पिकअप से वध हेतु ले जाये जा रहे 13 राशि गोवंश (06 गाय व 07 सांड) सकुशल बरामद।**

🔷 **01 शातिर तस्कर गिरफ्तार, 01 चापड़ व अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन (UP 61 CT 2313) जब्त।**

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष कन्दवा विनोद कुमार अंचल तथा थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्र की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है।
दिनांक 25.07.2026 को समय करीब 07:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि जमानियाँ (गाजीपुर) की ओर से एक बोलेरो पिकअप मैक्स वाहन (संख्या UP 61 CT 2313) में गोवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने तलाशपुर मोड़ से 100 मीटर पहले जमानियाँ रोड पर बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारम्भ की।
चेकिंग के दौरान उक्त पिकअप के चालक ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से वाहन चढ़ाने का प्रयास करते हुए भगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए अपनी जान बचाई। अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे मिट्टी व बालू के ढेर में फंस गया, जिसके बाद भाग रहे चालक को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
1.अरविन्द कुमार गौतम पुत्र गुड्डू राम, निवासी ग्राम सहेड़ी, थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर (उम्र करीब 20 वर्ष)।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:
तलाशपुर मोड़ से 100 मीटर पहले जमानियाँ रोड, थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली |
दिनांक 25.07.2026 को समय करीब 07:30 बजे।

बरामदगी का विवरण:

01 बोलेरो पिकअप मैक्स (रंग सफेद), पंजीयन संख्या UP 61 CT 2313 (ई-चालान ऐप द्वारा धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।
13 राशि जिंदा गोवंश (06 राशि गाय व 07 राशि सांड) — क्रूरतापूर्वक मुंह व पैर बांधकर लादे गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित मुक्त कराकर चारा-पानी दिया गया।
01 चापड़

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गोवंशों को एकत्र कर गाड़ी में लदवाते हैं। वह पैसों के लालच में गाड़ी चलाकर नुआंव (बिहार) में वध हेतु बेचने ले जा रहा था। रास्ते में चेकिंग देखकर पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर भागने का प्रयास किया गया था तथा पिकअप में रखा चापड़ पशुओं के वध हेतु रखा गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1.मु0अ0सं0: 59/2026 धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम धारा 109(1) बी.एन.एस. (BNS) धारा 4/25 आयुध अधिनियम (Arms Act) थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

थाना कन्दवा पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल
उ0नि0 साहब
हे0का0 भरत सिंह
का0 आशीष कुमार
रि0म0का0 सुधा यादव
रि0का0 अंकित यादव
रि0का0 शिवम उत्तम

थाना सैयदराजा पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र
रि0का0 आकाश पाण्डेय
रि0का0 अमरेन्द्र पटेल

🔰 CRACKDOWN CHANDUALI 🔰

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 25.07.2026

🔷 चंदौली पुलिस का बड़ा एक्शन: अन्तर्जनपदीय गिरोह से थाना चकिया क्षेत्र में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल अन्य 4 अभियुक्त गिरफ्तार

🔷 सर्किल चकिया में पुलिस और गोवंश चोरों के बीच मुठभेड़,रात के अंधेरे में मवेशी चुराने आए गिरोह को पुलिस ने घेरा, जवाबी फायरिंग में एक शातिर घायल

🔷 जाग जाने पर भागे थे मवेशी चोर थाना चकिया पुलिस व SOG की त्वरित कार्रवाई, घेराबंदी में चढ़े हत्थे; 1 घायल सहित कुल 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

🔷 गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा थाना इलिया की 03, थाना शहाबगंज की 02 व थाना चकिया की 02 चोरी की घटना को स्वीकार किया गया।

चन्दौली। जनपद में वांछित एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना चकिया पुलिस और SOG की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रात के अंधेरे में मवेशी (भैंस) चुराने आए अंतरजनपदीय गिरोह को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं मौके से वाहन चालक सहित 4 अन्य शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 25.07.2026 को समय करीब 04:00 बजे 112 नंबर एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना चकिया अंतर्गत भभौरा नाका (ग्राम बमहोरा) के पास सड़क किनारे बंधी भैंसों को नीले रंग की मैजिक वाहन से आए बदमाशों द्वारा चुराने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों के जग जाने व शोर मचाने पर बदमाश मैजिक वाहन से गरला की ओर भाग निकले।

सूचना मिलते ही भ्रमणशील थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह मय टीम व SOG प्रभारी रामजनम यादव मय टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लतीफशाह पहाड़ी मार्ग पर नीले रंग के मैजिक वाहन को ओवरटेक कर रोक लिया।

वाहन रुकते ही बदमाश उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से 04 बदमाशों को दबोच लिया। इसी दौरान चालक सीट के बगल से उतरा एक बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद बदमाश द्वारा पुनः फायर किए जाने पर थानाध्यक्ष चकिया द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर (घुटने के नीचे) गोली लगी और वह गिर पड़ा। घायल अभियुक्त करन सिंह चौहान को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया भिजवाया गया है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

घायल अभियुक्तों का विवरण

1.करन सिंह चौहान (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र मोहन चौहान, नि. पचवनिया, थाना चकिया, जनपद चन्दौली- (मुठभेड़ में घायल)

2.शशि चौहान (उम्र करीब 35 वर्ष) पुत्र स्व. दुलारे चौहान, नि. पचवनिया, थाना चकिया, जनपद चन्दौली

3.प्रताप चौहान (उम्र करीब 25 वर्ष) पुत्र भोला चौहान, नि. पचवनिया, थाना चकिया, जनपद चन्दौली

4.बल्लू चौहान (उम्र करीब 34 वर्ष) पुत्र स्व. गंगाधर, नि. पचवनिया, थाना चकिया, जनपद चन्दौली

5.अली हुसैन (उम्र करीब 19 वर्ष) पुत्र राजू खान, नि. डवरीकला, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली (मैजिक पिकअप चालक)

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

करन सिंह चौहान (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र मोहन चौहान, नि. पचवनिया, थाना चकिया, जनपद चन्दौली-

1-मु0अ0सं0-95/2015 धारा 147,427,435,506 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2-मु0अ0सं0-178/2015 धारा 323,342,352,354,392,427,504,506,295-ए,440 भादवि व 7 अपराधिक कानून थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण

अवैध असलहा: 01 तमंचा (315 बोर)

कारतूस: 01 जिंदा कारतूस (315 बोर) एवं 02 खोखा कारतूस (315 बोर)

घटना में प्रयुक्त वाहन: 01 नीले रंग की मैजिक पिकअप (रजि. नं. UP67AT7652)

नगदी: चोरी के मवेशी बिक्री के हिस्से से बचे कुल ₹2,500/- नगद बरामद।

पूछताछ विवरण-

पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाते हैं। यह गिरोह रात में मैजिक व योद्धा पिकअप वाहनों से ग्रामीण क्षेत्रों से भैंस व पडिया की चोरी करता था और उन्हें वाराणसी (कज्जाकपुरा) व दुल्हीपुर में ले जाकर बेच देता था। प्राप्त राशि को वे आपस में बराबर बांट लेते थे। अभियुक्तों ने चकिया, शहाबगंज व इलिया थाना क्षेत्रों से पूर्व में की गई दर्जनों मवेशी चोरियों की घटनाओं को भी स्वीकार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अग्रलिखित अपराधिक कृत्यों को स्वीकार किया गया-

मु0अ0सं0-40/26 धारा 303 BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0-64/26 धारा 305 Bns थाना इलिया जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0-68 /26 धारा 305 (a) Bns थाना इलिया जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0-41/26 धारा 303(1) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0-42/26 धारा 305/331 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0-169 धारा 303 BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0-172 धारा 305 BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 188/2026, धारा 109(1), 305(a), 317(2) बीएनएस (BNS) व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चकिया, जनपद चन्दौली।

घटना में प्रयुक्त मैजिक वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है।

गिरफ्तारी व मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम-

थाना चकिया पुलिस:

थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, थानाध्यक्ष चकिया जनपद चन्दौली।

उ0नि0 मुन्ना सिंह (चौकी प्रभारी रामपुर भभौरा),

उ0नि0 प्रेमचन्द यादव,

हे0का0 सूरज सरोज,

हे0का0 नरसिंह बहादुर,

हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद,

का0 राकेश यादव,

रि0का0 अरूण अवस्थी,

चालक हे0का0 फिरोज अहमद।

SOG / स्वाट टीम:

प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव,

हे0का0 अरविन्द भारद्वाज,

हे0का0 आशुतोष सिंह,

का0 अमित सिंह,

चालक हे0का0 आनन्द सिंह।

सर्विलांस टीम

प्रभारी आशीष मिश्रा

का0 नीरज मिश्रा

का0 अजीत सिंह

का0 मनीष प्रसाद

का0 मनोज यादव